प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक:-06.07.2021
थाना गौर जनपद बस्ती पुलिस द्वारा थाना गौर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आमा में पंचराम मौर्य हत्याकांड का खुलासा कर घटना में शामिल दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी हरैया श्री शेषमणि उपाध्याय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक गौर श्री शमशेर बहादुर सिहं मय पुलिस बल द्वारा थाना गौर क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम आमा में घटित पंचराम मौर्य हत्याकाण्ड का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक:-06.07.2021 को समय करीब 11:00 बजे गटरा पुल के पास से घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय बस्ती रवाना किया गया |

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. अरविंद मौर्य पुत्र पंचराम मौर्य निवासी ग्राम आमा थाना गौर जनपद बस्ती।
2. शैलेन्द्र मौर्य पुत्र पंचराम मौर्य निवासी ग्राम आमा थाना गौर जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण:-

1. 1 अदद रक्तरंजित ईट (आलाकत्ल) |
2. 7 अदद गमले का रक्तरंजित टुकड़ा (आलाकत्ल) |
3. एक अदद रक्तरंजित पर्दा कपड़े का |
4. एक अदद रक्त रंजित रुमाल |
5. एक अदद रक्त रंजित सफेद कपड़ा |
6. दो अदद शर्ट के बटन |
7. दो अदद मोबाइल |
8. जामा तलाशी से रुपये 200/- नगद।

घटना का संछिप्त विवरण:-

दिनांक 03.07.2021 को ग्राम आमा के चौकीदार भइयालाल पुत्र रामदिन निवासी ग्राम आमा थाना गौर जनपद बस्ती द्वारा थाना गौर पर लिखित प्रार्थना-पत्र दिया गया कि ग्राम आमा में भ्रमण के दौरान मौर्या तिराहे के पास गांव के कुछ लोगों द्वारा मुझको बताया गया कि पंचराम मौर्या पुत्र अगरदी मौर्या निवासी ग्राम आमा थाना गौर जनपद बस्ती आज सुबह से ही दिखाई नही दे रहा है जिस पर मैं ग्राम चौकीदार पंचराम मौर्या के घर के अन्दर जाकर देखा तो पंचराम मौर्या घर के आंगन मे मृत्यु अवस्था में पड़ा हुआ था जिसके सिर पर चोट लगी हुई थी तथा जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके सिर पर किसी वस्तु से मारकर हत्या कर दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना गौर जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 129/2021 धारा 302 IPC पंजीकृत किया गया |

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि हम लोगों का हमारे पिता मृतक पंचराम मौर्या से सम्पती को लेकर पुराना विवाद चल रहा था | हमारे माता जी की मृत्यु हो चुकी है एवं पिता का कई महिलाओं से अवैद्य संबंध था तथा उनके द्वारा पैतृक संपत्ति को बेचा जा रहा था जिसके बारे में हम लोगों ने पिता जी को कई बार समझाया-बुझाया किंतु वे मानने को तैयार नही थे और पैत्रिक संपत्ति को बेच रहे थे |

दिनांक:-03.07.2021 (घटना वाले दिन) को भी हम लोग अपने पिता को बहुत समझा-बुझा रहे थे कि इसी कहा-सुनी के दौरान अरविंद मौर्या द्वारा बगल में रखे ईट से पिता के सिर पर प्रहार कर दिया जिसके पश्चात पिता जी जमीन पर गिर गए और जिसके पश्चात शैलेन्द्र मौर्या द्वारा पास में रखे गमले से सिर पर प्रहार किया गया जिस कारण हम लोगों के पिता की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। आज दिनांक:-06.07.2021 को हम लोग गटरा पुल के पास से कहीं भागने के फिराक में थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिए गये |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक गौर श्री शमशेर बहादुर सिंह जनपद बस्ती |
2. व0उ0नि0 श्री रामेश्वर यादव थाना गौर जनपद बस्ती |
3. चौकी प्रभारी टिनीच श्री अजय कुमार सिंह थाना गौर जनपद बस्ती |
4. हे0का0 विनय कुमार यादव थाना गौर जनपद बस्ती |
5. का0 उमेश यादव, का0 मुंगेरीलाल, का0 मनोज कुमार यादव का0 मुंगेरीलाल थाना गौर जनपद बस्ती |